

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

दमा नंबर दावा / 203 / 2019

तारीख रजु 04.12.2019

उनवान

महेन्द्र कुमार पुत्र किस्तूरचंद वगैरह जाति महाजन निवासी कस्बा हिण्डौनसिटी हाल विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीज एरिया, जयपुर

— वादी(04)

बनाम

द्रोपती बेवा पूरणचन्द वगैरह निवासी ई-187 मोहननगर हिण्डौनसिटी तहसील हिण्डौन जिला करौली

— प्रतिवादी(14)

उपस्थिति:-

वादी की ओर से :- श्री पी.एल.गोयल एडवाकेट।

प्रतिवादीगण की ओर से :- कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक 03.02.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादी की ओर वकालतन एक वादपत्र निवासी कस्बा तहसील हिण्डौन जिला करौली के खसरा नंबर 1808 के सम्बन्ध में घोषणा खातेदारी व धित किये जाने वयनामा नल एण्ड बोर्ड दिनांक 31.10.2019 व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया। इसी दौरान वादी वकील द्वारा दिनांक 03.02.2019 को निवेदन किया कि उनका वादी का नहीं चलाना चाहते हैं। दावा नोट प्रेस में खारिज चाहा है।

अतः वादी का दावा मुकदमा नंबर 203/2019 महेन्द्र कुमार बनाम द्रोपती वगैरह नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

